न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
130/प्रा.पत्र/2009	10.08.2009	30.03.2017

मथुरालाल आयु 62 साल आत्मज केसरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ, जिला बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

1. रामसेवक आयु 45 साल
2. रामदास आयु 42 साल
3. रामलाल आयु 40 साल
4. हरीश्चन्द आयु 38 साल

पि. नत्थीलाल जातियान सुनार निवासीगण ग्राम तीरथ, जिला बून्दी

5. देवबाई पुत्री नत्थीलाल
6. सत्यभामा पुत्री नत्थीलाल

जातियान सुनार निवासीगण ग्राम तीरथ, जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा व अधिकार घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 आर.टी. एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से वकील धीरेन्द्र चौधरी

अप्रार्थी की ओर से वकील कृष्णदत्त दाधीच

उप खण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

निर्णय

दिनांक : 30.03.2017

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट वास्ते प्राप्त करने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1893 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम तीरथ में स्थित हैं। उक्त आराजी को अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के पिता नत्थीलाल से दिनांक 13.04.1966 को प्रतिवादी क्रम–7 सीताराम ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया तथा प्रतिवादी क्रम–7 सीताराम ने भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त आराजी को प्रार्थी एवं

उ

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

यादी क्रम 8 लगायत 12 के पूर्वज श्री केसरीलाल से सौदा तय कर दिनांक 2.4.1968 को बैचान कर
ा संभला दिया तथा विक्रय पत्र भी निष्पादित व पंजीयन करवा दिये। केसरीलाल ने उक्त आराजी
ा पंजीयन तीनों पुत्रों मथुरालाल (प्रार्थी) छोटा (प्रतिवादी 8) व नारायण (प्रतिवादी 9 ल.12 के
ति/पिता) के नाम करवाया, परन्तु राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं करवाया गया तथा आपसी पारिवारिक
बंटवारे के तहत प्रार्थी के हिस्से में मानकर प्रार्थी को संभला दिया। इस प्रकार आराजी क्रय करने के
पश्चात् से ही उक्त आराजी पर प्रार्थी ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। किन्तु उक्त आराजी
के राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण का ही नाम होने से वे उस पर कब्जा करने तथा अन्यत्र बेचान करने
की धमकी दे रहे हैं, जबकि उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी कब्जा मुखालफाना के आधार पर
तथा रजिस्टर्ड बेचान के तहत स्वतः ही खातेदार हो गया है तथा अधिकार प्राप्त हो गया है कि उक्त
आराजी स्वयं के नाम राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज करवाये। अप्रार्थीगण शीघ्र ही वाद विषयक आराजी
को रहन, बेचान, भारग्रस्त करने पर आमादा है। यदि उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया
तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन का भार भी प्रार्थी के पक्ष में
प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने
जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थना पत्र के प्रमुख बिन्दु अस्वीकार
करते हुए कथन किया विवादित भूमि पैतृक भूमि है जिसका विधिसम्मत विभाजन के बिना किसी को
बैचान का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की है जिस पर प्रार्थी का कब्जा
होना स्वीकार नहीं है। कब्जा अप्रार्थीगण का है तो कब्जा करने पर आमादा होने का तथ्य मनगढ़न्त व
असत्य है। प्रार्थी का कोई प्रथमदृष्टया केस नहीं है। अप्रार्थी ने अन्य आक्षेप में कथन किया कि विवादित
भूमि पर अप्रार्थीगण 2 लगा. 6 का बहैसीयत स्वामी कब्जा चला आ रहा है, जो वर्तमान में कोटा में
निवास करते हैं। अप्रार्थी सं. 1 लापता है। अप्रार्थी 2 लगा. 6 ही विवादित भूमि पर काश्त की व्यवस्था
कभी आधोली पर तो कभी जुवारा काश्त पर करते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा ही प्रार्थी को विवादित आराजी
आधोली पर काश्त के लिए दी हुई है। विगत 2 वर्षों से प्रार्थी उपज का हिस्सा अप्रार्थीगण को नहीं दे
रहा है। अप्रार्थीगण के पिता नत्थीलाल द्वारा दिनांक 13.04.1966 को उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई
विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। प्रस्तुत विक्रय दस्तावेजों पर उनके पिता के हस्ताक्षर नहीं है। अतः
जब तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 13.04.1966 ही प्रभावशून्य है और दोनों विक्रय पत्रों के माध्यम से
किसी प्रकार की सहायता पाने का प्रार्थी (वादी) को कोई अधिकार नहीं है। स्व. नत्थीलाल को उस
समय भूमि बेचने की कोई लीगल नेसेसीटी नहीं थी। विवादित भूमि के साथ अप्रार्थीगण की अन्य पैतृक
भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग की कार्यवाही आज भी विचाराधीन है जिसका विधिसम्मत निस्तारण हुए बिना
प्रार्थना पत्र में चाही सहायता प्राप्त करने का प्रार्थी को अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज
किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन
किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, कब्जा काश्त के मद्देनजर प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनता है
तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया तो
आराजी का बेचान आदि करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

दूसरी ओर अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकि
तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम होने से
प्रथमदृष्टया उनका बनता है तथा कब्जा भी विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का है। जिससे सु
संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं होने से
अपूरणीय क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण की खातेदारी में हैं, किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.04.1966 से अप्रार्थीगण के पिता ने उक्त आराजी का बैचान सीताराम को कर दिया तथा सीताराम ने भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.04.1968 से प्रार्थी एवं उसके भाइयों को कर दिया तब से ही उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रथम विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् से ही अप्रार्थीगण का कोई विधिक अधिकार विवादित आराजी पर नहीं बनता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जा काश्त के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। इसी प्रकार सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति संभावित है, क्योंकि राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी के नाम है जिसके आधार पर वे विवादित आराजी का बेचान व हस्तांतरण अन्य को कर सकते हैं। इस प्रकार पुनः बेचान कर दिये जाने की स्थिति में वादकरण और बढ़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा ताफैसलावाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी खसरा सं. 1893 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम तीरथ को कहीं रहन, बैय, भारग्रस्त नहीं करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करवाये। प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तामील तकमील संलग्न मूलवाद हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.3.17

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned by CamScanner